

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकास शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 104ए/2017

F.No. 417/2017

संस्थापित दिनांक 19.07.2017

विकास पुत्र रघवीर सिंह बघेल उम्र 16 वर्ष निवासी किशन की गढिया (मोसा) तहसील व जिला भिण्ड

आवेदक/ वादी

वि रु द्ध

1. गवदू सिंह बघेल पुत्र बलवंत सिंह बघेल उम्र 68 वर्ष निवासी किशन की गढिया (मोसा) तहसील व जिला भिण्ड
2. परसुराम पुत्र दाताराम बघेल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम मल्लपुरा तहसील मेहगांव व जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।
3. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक **19.01.2018** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा मीसा सर्किल फूप विकास खण्ड भिण्ड पटवारी हल्का नंबर 731/1 के सर्वे क्रमांक 161 क्षेत्रफल 0.36, सर्वे क्रमांक 162 क्षेत्रफल 4.03, सर्वे क्रमांक 176 क्षेत्रफल 5.00 हेक्टेयर में हिस्सा 1/2 अर्थात् क्षेत्रफल 1.87 हेक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वामित्व आधिपत्य का था, जिसे गोदनामा दिनांक 03.10.2016 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उपपंजीयक भिण्ड के समक्ष वादी को गोद लेकर रजिस्ट्री संपादित की थी ओर वादी को पुत्रवत गोद ले लिया था। उक्त

दिनांक से पांच वर्ष पूर्व से ही पांच वर्ष की उम्र से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने जातिगत रीतिरिवाज से वादी को गोद लिया था। वादी का नाम उसके पढाई के दस्तावेजों में लेख नहीं हो पाया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विक्रय पत्र दिनांक 23.6.2017 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 को 1.87 हेक्टेयर का 1/2 हिस्सा बिना प्रतिफल के विक्रय कर दिया।

3. दत्तक विलेख के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी का पुत्र है और प्रतिवादी क्रमांक 2 ने साजिस कर बिना प्रतिफल दिये विक्रय संपादित करने से तीन दिन पूर्व वादी के दत्तक पिता का अपहरण कर लिया, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 07.07.2017 को थाना उमरी में की गई तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लापता है और उसके खाते में चार लाख रुपये की राशि जमा नहीं हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 2 छल करके शेष हिस्से का भी विक्रय पत्र संपादित कर सकता है। वादी गोद लिये जाने के कारण अपनी पैतृक संपत्ति से भी पृथक् हो गया है, क्योंकि उसके अन्य दो भाई नितिन व मोहित उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देगे और वादी की संपत्ति उससे छिन जायेगी तथा वह भूमिहीन होकर मजदूर रह जायेगा। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने विक्रय पत्र कराकर वादी के साथ धोखाधड़ी की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा गांव के आनंद सिंह, गोपी सिंह, विजय सिंह से कर्जा भी लिया था, जिसे वादी की ओर से उसके पिता द्वारा बताया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन रघुवीर सिंह तथा विजय सिंह व गोपी सिंह के शपथपत्र के साथ प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि विवादित आराजी में वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप न करे और न ही किसी अन्य अंश भाग का विक्रय करे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने संयुक्त रूप से लिखित कथन एवं आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को कभी गोद नहीं लिया था, बल्कि वादी के पिता ने जमीन हड़पने के लिये फर्जी

तरीके से षडयंत्रपूर्वक गोदनामा तैयार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 के हस्ताक्षर सरकारी पेंशन दिलाने के बहाने करा लिये थे। प्रतिवादी क्रमांक 1 को गोद लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.6.2017 विधिवत प्रतिफल प्राप्त कर संपादित किया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 का अपहरण नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा कोई कर्जा नहीं लिया। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने स्वत्व की भूमि पर स्वयं खेती करता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के जवाब के समर्थन में प्रतिवादी गबदू ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसर हुई है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

क्या प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

7. वादी का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी के दत्तक विलेख दिनांक 03.10.2016 के आधार पर गोद लिया था, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि उसने वादी को कभी गोद नहीं लिया, बल्कि वादी के पिता ने फर्जी रूप से गोदनामा तैयार कराया है। वादी ने रजिस्टर्ड दत्तक विलेख दिनांक 03.10.2016 की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार यह दर्शित है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा वादी को गोद लिया गया है। वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा गोद लिये जाने के संबंध में उभयपक्ष के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन परस्पर विरोधाभासी है और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष

इस प्रक्रम पर बिना साक्ष्य के नहीं निकाला जा सकता।

8. वादी ने यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2017 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जहां तक वादग्रस्त संपत्ति पर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का प्रश्न है, वादी के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का स्वत्व इस आधार पर है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को गोद लिया है। वादी के अभिवचन के पद क्रमांक 1 के अनुसार ही वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वामित्व एवं आधिपत्य था। उपरोक्त के आधार पर इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को गोद लिये जाने के प्रश्न का निराकरण उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत ही किया जाना संभव है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा गोद लिया गया था और प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी का दत्तक पुत्र है, तब भी वादी को वादग्रस्त संपत्ति पर अधिकार केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकते हैं, चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 अभी जीवित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवित रहते हुये वादी को कोई अधिकार वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया उत्पन्न होना दर्शित नहीं है।

9. जहां तक वादग्रस्त संपत्ति पर वादी के आधिपत्य का प्रश्न है, वादी की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह अवधारित किया जा सके कि वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का आधिपत्य है। उपरोक्त के आधार पर इस मामले में वादी का वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया स्वत्व एवं आधिपत्य दर्शित न होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं माना जा सकता। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है।

10. जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया वादी का स्वत्व एवं

आधिपत्य होना भी दर्शित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं पायी जाती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में नहीं है।

11. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 19.01.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)